तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस में जारी हुए
06/01/2022	पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर / प्रतिवादी गण / प्रार्थी गण को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25-01-2022 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	
25/01/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम व पटवार हल्का मेघनिवास भ्र.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी संवत् 2076-79 की खाता संख्या 16 खसरा संख्या 13/1, 412/10, 413/14 कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 है० लगान 4.69 रुपये खाते मे प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिस पर प्रार्थी के आने जाने का रास्ता ग्राम मेघनिवास की खाता संख्या 177 खसरा संख्या 15 रकबा 1.72 है० सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू०डी०) सड़क से होता हुआ आराजी संख्या 14मी० जो बिलानाम कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से प्रार्थी की आ०सं० 413/14 से होकर प्रार्थी की आ०सं० 13/1, 412/10 में कृषि भूमियों पर आता जाता है। प्रार्थी व प्रार्थी की खातेदारी की कृषि आराजियात पर आने-जाने के लिए एकमात्र रास्ता जो आ०सं० 14मी. जो बिलानाम काबिल काश्त है। उक्त रास्ता कदीम समय से कायम होकर चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी तरफ से कोई आम रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने-जाने का नहीं है। प्रार्थी ने आ०सं० 14 से नियमानुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया तथा प्रार्थी	

नियमानुसार रास्ता कायम करवाने हेतु शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है। प्रार्थी ने पत्रावली पर जमाबन्दी ग्राम मेघनिवास की खाता संख्या 16 व नक्शा ट्रेस की असल नकल पेश कर रखी है।

पेशकार सरकार ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी के खेत पर आने-जाने का रास्ता लगभग आ०न० 14 मी० रकबा 0.26 है० में से एकमात्र रास्ता है व प्रार्थी इस भूमि का उपयोग कर रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि में से 460 वर्गमीटर जो कि वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड है, को गै.मु. रास्ता दर्ज करा उपयोग मे लेना चाहता है व नियमानुसार राशि गै०मु० रास्ते हेतु जमा कराने हेतु तैयार है इस बाबत जवाब दिनांक 25/01/22 को प्रस्तुत किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा प०ह० मेघनिवास को मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया जिस पर पटवारी ने पर्चा मौका मय नक्शा ट्रेस के रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार कचरु पिता उमर जाति बागरी निवासी बिल्या (म०प्र०) के आ० सं० 413/14 रकबा 0.50 है० आ०सं० 412/10 रकबा 0.50 है०, आ०सं० 13/1 रकबा 0.08 है० ग्राम मेघनिवास व प०ह० मेघनिवास तहसील रावतभाटा में आने जाने का एकमात्र रास्ता है जो आ०न० 14 मी० रकबा 0.26 है० मे से 460 (58 ल० x 7.93 चौ०) वर्गमीटर बिलानाम सरकार भूमि है, जो कि प्रार्थी आने-जाने हेतु इस भूमि का रास्ते हेतु उपयोग भी कर रहा है। उक्त भूमि 460 वर्गमीटर जो कि वर्तमान मे बिलानाम राजस्थान सरकार दर्ज रिकार्ड है। आ०सं० 413/14 पर जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता (58 x 7.93) 460 वर्गमीटर अर्थात 4.60 एयर कायम किये जाने व नक्शे मे तरमीम किए जाने हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार है। मेरे मत से प्रकरण प्रार्थना-पत्र वादी स्वीकार किए जाने योग्य है।

किस्म मुकदमा ....कन्वरु.... मुकाम : रावतभाटा ....बनाम.... जरिए भूमिधारी तहसील
नं0 ....251 (क).... सन् 04/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
	प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम व प० ह० मेघनिवास तहसील रावतभाटा जमाबन्दी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 16 खसरा सं. 13/1 रकबा 0.08 हे०, आ०नं० 412/10 रकबा 0.50 हे०, आ०नं० 413/14 रकबा 0.50 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 1.08 हे० लगान 4.69 रूपये प्रार्थी के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। प०ह० पटवारी मेघनिवास की रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता आ०सं० 15 से होते हुए आ० सं० 14 मी. में आ० सं० 413/14 रकबा 0.50 हे० जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते अनुसार 58 मी. व चौड़ाई 7.93 मी. = 460 वर्ग मीटर का नियमानुसार शुल्क अप्रार्थी सरकार को 460 वर्गमीटर अर्थात 4.60 एअर भूमि की राजकीय कीमत 2925/- रु. प्रति एअर की दर से (डीएलसी) से कुल राशि 4.60×2925 = 13455/- रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 26910/- रूपये अक्षरे छब्बीस हजार नौ सौ दस रूपये खातेदार द्वारा भुगतान किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतु बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। उक्त राशि का संबंधित के नाम ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतु प्रस्तुत करे। राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न प०ह० का प्रस्तावित नक्शे की छायाप्रति संलग्न कर निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे। आदेश आज दिनांक 25-01-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	